अभियोजन से संबंधित

पत्र संख्या- (ए0-3/डी0(अभि0स्वी0)-5/2004- 172 /जे0

झारखण्ड सरकार,
विधि (न्याय) विभाग ।

---

प्रेषक,

श्री तारकेश्वर प्रसाद,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
झारखण्ड ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव,
सरकार के सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 20 जनवरी, 2004

विषय :- अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में ।

---

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 23.12.2003 को मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची, की अध्यक्षता में कोर्ट केसों के लिए सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में हुए विमर्श के संदर्भ में कहना है कि विभिन्न विभागों द्वारा भारतीय दंड विधान एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अराजपत्रित सरकारी सेवकों के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा--197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा--19 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में अभियोजन की स्वीकृति का अनुरोध विधि विभाग से किया जाता है ।

2. इस मामले में सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा--19(1)(बी) में वर्णित उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार के मामले में नियुक्त व्यक्ति तथा जिन्हें राज्य सरकार की स्वीकृति से ही पद से हटाया जा सकता है, के मामले में बिना राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के कोई न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है । इसी तरह उक्त अधिनियम की धारा--19(1)(सी) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अन्य व्यक्तियों के मामले में उनके पद से उन्हें हटाने के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत पूर्व स्वीकृति के बिना कोई न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकती है ।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में, चूंकि, राजपत्रित पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने के लिए राज्य सरकार ही सक्षम है । केवल राजपत्रित पदाधिकारियों

(क्रमशः)

Scanned by CamScanner

के मामले में ही अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची के क्रमांक- 17 (xix) के अनुसरण में विधि विभाग को भेजा जाना समीचीन होगा, ताकि राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त मामले में अभियोजन की स्वीकृति आदेश निर्गत किया जा सके ।

4. जहाँ तक अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति का आदेश निर्गत करने का मामला है, तो इस संबंध में प्रशासी विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी (जो उन्हें पद से हटाने के लिए सक्षम हैं) ही अभियोजन की स्वीकृति आदेश निर्गत करने के लिए सक्षम हैं । ऐसे मामलों को विधि विभाग में स्वीकृति हेतु भेजने से अनावश्यक विलम्ब होता है तथा मामला न्यायालय में संज्ञान हेतु लंबित रहता है ।

5. अतः अनुरोध है कि भविष्य में केवल राजपत्रित पदाधिकारियों से संबंधित अभियोजन की स्वीकृति का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजने का कष्ट करें तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति संबंधी आदेश संबंधित विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी अपने स्तर से ही निर्गत करने का कष्ट करें ।

विश्वासभाजन,

(तारकेश्वर प्रसाद)
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
झारखण्ड ।

ज्ञाप संख्या-झा0-3/डी0(अभि0स्वी0)-5/2004- 179 /जे0, राँची, दिनांक 20.01.04
जनवरी, 2004

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राँची प्रक्षेत्र, राँची/ उप महानिरीक्षक, निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
झारखण्ड ।

Scanned by CamScanner